

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क. 15 / 2015-16 / अ-20(3)

ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांतरण करने के संबंध में।

// आदेश //

(पारित दिनांक 13/04/16)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी के पत्र क्रमांक 912/परि/का.या./लो.स्वा.या./खण्ड दिनांक 29.02.2016 द्वारा ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सीवर लाइन डालने में वन विभाग की समतुल्य भूमि प्रभावित है।

नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/2015-2016/अ-74 में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने जांच प्रतिवेदन भेजकर प्रतिवेदित किया है कि ग्राम डोंगरी के शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर (का.का.) जो अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 02/15-16/अ-59 आदेश दिनांक 28.10.15 द्वारा पूर्व में भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु सुरक्षित की गई है, को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिसमें किसी की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा ग्राम पंचायत करई कैरउ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 27.04.2016 से पंचायत को कोई आपत्ति होना बताया है व पटवारी द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव रिपोर्ट में अक्स नक्शा, खसरा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है।

अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 62/15-16/अ-74 के प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2016 द्वारा नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रस्तावित भूमि ग्राम डोंगरी की शासकीय सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

// 2 //

अतः अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी एवं नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को मध्य राजस्व पुस्तक परिपत्राचार की कडिका 186 के तहत वन शांती के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है:-

1. भूमि जिसे प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की जा रही है उसका प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे। कियी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा भूमि का कब्जा व भूमि राजस्व विभाग के हित में प्राप्त किया जाएगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अवश भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी हस्तान्तरित भूमि का खसरे में अमल कराये एवं सम्बन्धित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य सौंपे एवं अधिपत्य रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

13/4/16
कलेक्टर

जिला शिवपुरी म0प्र

पृ. क्रमांक 15 / 15-16 / अ-20(3) / नजूल / 2016 / 1947 शिवपुरी, दिनांक 13/04/2016

प्रतिलिपि :-

भोपाल

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिला शिवपुरी की ओर हस्तांतरित की गई भूमि का अधिपत्य लेने हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराएं एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कर भूमि का अधिपत्य दिलाया जाकर प्राप्ति की अभिस्वीकृति लेंगे।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/4/16
कलेक्टर

जिला शिवपुरी म0प्र